राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःप. 10 (3) राज–6/2001/पार्ट/15 जयपुर, दिनांक 27/11/17

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के उप–नियम (2) समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 36 दिनांक 23.11.2017 द्वारा संशोधित कर एक नवीन परन्तुक जोड़कर infrastructure projects viz air strip, lift irrigation pumping station and rehabilataion purpose हेतु चरागाह भूमि की आवश्यकता होने पर यदि अनाधिवासित सरकारी भूमि उस ग्राम या उसी ग्राम पंचायत के समीपस्थ ग्राम में उपलब्ध नही है एवं भूमि की आत्यांतिक आवश्यकता है एवं वैकल्पित साधन का अभाव सिद्ध हो गया है तो नजदीकी ग्राम पंचायत से चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु अपवाद स्वरूप मामलो में जिले की अन्य पचायत से ऐसी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से की जा सकती है।

उक्त कम में निर्देशानुसार लेख है कि चरागाह भूमि का उक्तानुसार वर्गीकरण परिवर्तन से पूर्व नियम 6 व 7 (1) के अनुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत का परामर्श लिया जाना आवश्यक है। अतः राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि समान माप की भूमि चरागाह हेतु जिले के किसी अन्य गांव में भूमि उपलब्ध कराने से उस गांव के पशुओं व ग्राम वासियों के हितों पर कोई दुष्प्रभाव तो नही पड़ेगा व संबंधित ग्राम पंचायत को कोई कठिनाई या आपत्ति तो नही है।

27/11/17
(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. निबन्ध, राजस्व मण्डल अजमेर।
7. राविरा अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

27/11/17
संयुक्त शासन सचिव